

जेपीआर 5-355

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय मुख्य अभियन्ता(सीपीआरई)


क्र.जेपीडी / मुअ(सीपीआरई) / सी.। / एफ.4(210)पार्ट-XI / प्रे० 1878 जयपुर, दि० 30.10.06

आदेश

विषय – काटे हुए कृषि श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों को पुनः जोड़ने बाबत।


कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने एवं निगम की बकाया राशि की वसूली हेतु समन्वय समिति की 97वीं बैठक, जो कि 28 सितम्बर, 2006 को हुई थी, में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में कटे हुए कृषि कनेक्शनों से निगम की बकाया राशि किश्तों में स्वीकार करके पुनः कनेक्शन जोड़ने हेतु निम्नलिखित विर्णय लिये गये :-

1. प्रथम किश्त के रूप में यथा सम्भव कुल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के पश्चात, विद्युत कनेक्शन तुरन्त जोड़ दिये जावें।
2. शेष 50 प्रतिशत राशि हेतु, दो बराबर मासिक किश्तें स्वीकृत कर दी जावे।



उपरोक्त आदेश की पालना तुरन्त की जावे।

आज्ञा से,



(बी० एल० अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता(वायो एवं आरई)

